

अवसर चाहा गया जो दिया जाता है। पत्रावली
वास्ते साक्ष्य दिनांक 12/03/2024 को पेश
है।

S.D.O

12/03
2024

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी व वादीगण न्यायालय
में अनुपस्थित। वादीगण को न्यायालय द्वारा
न्यायालय समय पर तीन बार अलग-अलग
समय पर आवाज लगाई गई बाबजूद वादीगण
व वकील वादी न्यायालय में अनुपस्थित। अतः
न्यायालय में वाद-पत्र में वादी की ओर से
पैरवी हेतु उपस्थित नहीं होने से वाद-पत्र इसी
स्तर पर अदम हाजिरी अदम पैरवी में खारिज
किया जाता है। पत्रावली कैसल कुमार होकर दर्ज
रजिस्टर से कम की जाकर शामिल इफ्तार है।

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चि.ता.नांद)

